# मेरठ विकास प्राधिकरण

की

77 वी बोर्ड बैठक

दिनांक : 4 -8 -2007

का

# कार्यवृत्त

# मेरठ विकास प्राधिकरण की 77वीं बोर्ड बैठक दिनांक 04–8–2007 का कार्यवृत्त।

मेरठ विकास प्राधिकरण की 77वीं बोर्ड बैठक दिनांक 04–8–2007 को कार्यालय, आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ के सभागार में आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ/अध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ की अध्यक्षता में अपरान्ह 12.30 बजे प्रारम्भ हुई। सर्वप्रथम उपाध्यक्ष द्वारा बोर्ड के अध्यक्ष महोदय तथा माननीय सदस्यों का स्वागत किया गया। बैठक में निम्नवत उपस्थिति रहीः–

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | श्री बी0 एम0 मीना | आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ | अध्यक्ष |
| 2. | श्री नीतीश्वर कुमार | जिलाधिकारी, मेरठ | उपाध्यक्ष |
| 3. | श्री एन0 आर0 वर्मा | मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उ0 प्र0 शासन, लखनऊ | सदस्य |
| 4. | श्री अशोक वर्मा | नगर आयुक्त, मेरठ | सदस्य |
| 5. | श्री एस0 के0 जमां | प्रतिनिधि–आयुक्त, एन0 सी0 आर0 | सदस्य |
| 6. | श्री ज्ञान सिंह | अपर निदेशक– कोषागार एवं पेंशन, मेरठ | सदस्य |
| 7. | श्री उमेश मित्तल | अधीक्षण अभियन्ता, आवास एवं विकास परिषद, मेरठ | सदस्य |
| 8. | श्री राजेन्द्र प्रकाश | अपर निदेशक, उद्योग, मेरठ परिक्षेत्र, मेरठ | सदस्य |
| 9. | श्री शशि शेखर सिंह | उपाध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ | सदस्य |
| 10. | श्री शैलेन्द्र चौधरी | सचिव, मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ | संयोजक |

## मद संख्या–1

**प्राधिकरण की 76वीं बोर्ड बैठक दिनॉक 29–6–2006 के कार्यवृत्त की पुष्टि।**

प्राधिकरण की 76वीं बोर्ड बैठक दिनॉक 29–6–2006 के कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी।

## मद संख्या–2

**प्राधिकरण की 76 वीं बोर्ड बैठक की अनुपालन आख्या।**

प्राधिकरण की 76 वीं बोर्ड बैठक की अनुपालन आख्या का अवलोकन किया गया।

मद सं0 3 के सम्बन्ध में अध्यक्ष महोदय द्वारा यह निर्देश दिये गये कि लेखानुभाग द्वारा अवशेष आडिट आपत्तियों के निस्तारण हेतु निदेशक, स्थानीय निकाय लेखापरीक्षक इलाहाबाद से पत्र के माध्यम से अवशेष अपत्तियों के निस्तारण हेतु पुनः अनुरोध किया जाये तथा प्राधिकरण एक माह के अन्दर आपत्तियों का निस्तारण कर माननीय अध्यक्ष को अवगत कराया जाये।

मद सं0 4, 5, 6 बोर्ड द्वारा निर्देश दिये गये कि शताबन्दीनगर, गंगानगर एवं रक्षापुरम हेतु सीवरेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट के निर्माण, एस0टी0पी0 हेतु डिजाइन व ड्राइंग के सम्बन्ध में जल निगम एक सक्षम एजेन्सी है। अतः यह कार्य उसी से कराया जाये।

मद सं0 10 बोर्ड/अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देश दिये गये कि उ0 प्र0 स्टेट टैक्स टाईल कारपोरेशन, लि0 मेरठ में स्थित कतई मिल की भूमि का ले–आउट प्लान बनाकर पूर्ण प्रस्ताव आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्तुत किया जाये।

## अनुपूरक प्रस्ताव 76 वीं बोर्ड बैठक–

मद सं0–2 अध्यक्ष महोदय ने निर्देश दिये कि बैसिक शिक्षा परिषद को जो प्राईमरी पाठशाला हेतु निःशुल्क भूमि दी जा रही है, उसके समीप

खेल का मैदान भी होना चाहिए। इस सम्बन्ध में सचिव बैसिक शिक्षा विभाग को एक पत्र भेजा जाये। खेल के मैदान की भूमि विभाग को भुगतान के आधार पर ही उपलब्ध हो सकेगी।

## मद संख्या–3

<u>प्रस्तावित बजट 2007–08</u>

बजट पर विस्तृत चर्चा के पश्चात बोर्ड द्वारा सर्व सम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया। अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देश दिये गये कि प्राधिकरण अपनी आय बढाये तथा अपने खर्चे पर प्रभावी नियन्त्रण रखा जाये। पूर्ण विकसित योजनाऐं तथा अर्द्ध विकसित योजनाऐं इस वर्ष नगर निगम, मेरठ को हस्तान्तरित की जाये।

## मद संख्या–4

<u>मैसर्स भारत इंजीनियरिंग एण्ड फाउन्ड्री वर्क्स मेरठ की रिक्त भूमि खसरा संख्या–558 को समायोजन करने सम्बन्धी प्रस्ताव।</u>

सम्यक विचारोपरान्त, शताब्दीनगर योजना की संदर्भित 977 वर्ग मी0 भूमि खसरा न0 558 जो महायोजना मार्ग के कोने पर स्थित है, को प्राधिकरण की योजना अप्रभावित होने के दृष्टिगत, वर्तमान भू–उपयोग के अन्तर्गत वाह्य विकास शुल्क व अन्य देयता प्राप्त कर, बोर्ड द्वारा प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

## मद संख्या–5

<u>मुख्यालय मेरठ सब एरिया, मेरठ छावनी द्वारा ग्राम सोफीपुर क्षेत्र में फायर रेन्ज क्षेत्र में शैक्षिक भूउपयोग पर आपत्ति के सम्बन्ध में प्रस्ताव।</u>

बोर्ड द्वारा प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

## मद संख्या–6

मेरठ महायोजना–2021 को दो चरणों में लागू किये जाने की व्यवस्था को समाप्त किये जाने के सम्बन्ध मे।

बोर्ड द्वारा प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

## मद संख्या–7

मेरठ–दिल्ली व मेरठ–हापुड़ एवं गढमुक्तेश्वर मार्ग को जोडने के लिए 45 मी0 चौडे महायोजना मार्ग के दोनों ओर हापुड़ मार्ग के जंक्शन पर आवासीय/व्यवसायिक उपयोग हेतु भूमि का अर्जन प्रस्ताव।

प्राधिकरण बोर्ड द्वारा उपरोक्त प्रस्ताव पर चर्चा उपरान्त पुनरीक्षित प्रस्ताव प्रस्तुत करने के आदेश दिये गये।

## मद संख्या–8

प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं में अर्जित भूमि के प्रतिकर के सम्बन्ध में समझौता।

बोर्ड द्वारा प्राधिकरण के प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा की गयी, चर्चा उपरान्त सर्व सम्मति से प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की गयी तथा निर्देश दिये गये कि प्रस्ताव को शासन को भेजकर प्राथमिकता पर अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाये, उसके उपरान्त ही क्रियान्यवयन किया जाये। जहाँ तक लोहियानगर, वेदव्यासपुरी एवं शताब्दीनगर के आवंटियों से बढे हुए प्रतिकर की धनराशि वसूल करने का प्रश्न है, प्राधिकरण नियमानुसार दिनांक 31–3–03 तक विक्रय की भूमि के आवंटियों से वसूलने की कार्यवाही कर सकता है।

## मद संख्या–9

<u>प्राधिकरण में कार्यरत वेतनमान कर्मचारियों को भवन किराया भत्ता/नगर प्रतिकर भत्ता दिये जाने के सम्बन्ध में।</u>

बोर्ड द्वारा इस प्रस्ताव पर विचार किया गया। विचारोपरान्त निर्देश दिये गये कि बोर्ड इस प्रस्ताव से सहमत हैं परन्तु प्रकरण को शासन को भेजकर अनुमति मांग ली जाये। इसके उपरान्त ही कार्यवाही की जाये। बोर्ड द्वारा यह भी निर्देश दिये गये कि वर्कचार्ज/दैनिक वेतन कर्मचारियों की संख्या ज्ञात कर शासन से पद स्वीकृति हेतु अनरोध कर लिया जाये।

## मद संख्या–10

<u>ग्रीन वुड सिटी के तलपट मानचित्र की स्वीकृति के सम्बन्ध में।</u>

मद सं0–10 व अनुपूरक मद सं0 2,3,4, के सम्बन्ध में बोर्ड द्वारा निर्देश दिये गये कि उपरोक्त तलपट मानचित्रों को मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उ0प्र0 शासन को परीक्षण हेतु एक सप्ताह में उपलब्ध करायें तथा आगामी बोर्ड बैठक में उनके अभिमत के साथ प्रस्तुत करें।

## मद संख्या–11

<u>प्राधिकरण क्षेत्र में वाह्य विकास शुल्क निर्धारण के सम्बन्ध में।</u>

बोर्ड द्वारा प्रस्ताव अनुमोदित किया गया तथा यह भी निर्देश दिये गये कि मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा जो सुविधा कालोनी को स्वीकृति करते समय बिल्डर्स/कालौनी निमार्ण–विकासकर्ता को दी जाय उसके अनुरूप विकास शुल्क उनसे लिया जाये इस सम्बन्ध में मेरठ महायोजना को जोनों में बाँट कर उपलब्ध सुविधा/भविष्य में दी जाने वाली सुविधाओं को ध्यान में रखकर जोनवार वाह्य विकास शुल्क निर्धारित एक सप्ताह के अन्दर कर लिया जाये तथा उसी के अनुरूप भविष्य में वाह्य विकास शुल्क वसूला जाये। अध्यक्ष महोदय ने यह भी निर्देश दिये कि वाह्य विकास शुल्क की देयता मानचित्र/ले–आउट स्वीकृत करते समय निर्धारित कर ली जाये कोई एक साथ वाह्य विकास शुल्क देने में कठिनाई महसूस करता है तो कम से

कम 40 प्रतिशत वाह्य विकास शुल्क की धनराशि तत्समय जमा की जाये तथा शेष धनराशि किश्तों में मय ब्याज के वसूल की जा सकती है। बोर्ड ने यह भी निर्देश दिये कि भविष्य में शुल्क की दरों के बढ़ने पर वसूली की शर्त न रखी जाये।

## मद संख्या–12

वाहनों के निष्प्रयोज्य किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव।

बोर्ड द्वारा प्रस्ताव अनुमोदित किया गया ।

## मद संख्या–13

प्राधिकरण की पल्लवपुरम, श्रद्धापुरी फेस प्रथम, श्रद्धापुरी फेस द्वितीय, डिफेन्स एंक्लेव एवं सैनिक विहार योजनाओं में कृषकों की देय अतिरिक्त प्रतिकर के मद में दिनांक 30–4–1997 को हुई वृद्धि के फलस्वरूप अतिरिक्त प्रतिकर के मद में बढ़ी धनराशि आवंटियों से प्राप्त करने के लिए प्रस्ताव।

बोर्ड द्वारा प्रस्ताव अवलोकित किया गया।

## मद संख्या–14

श्रद्धापुरी फेस–2 व गंगानगर आवासीय योजना में स्थित उच्च आय वर्ग के आवासीय भूखण्डों को माननीय विधायकों/सदस्य विधान परिषद उ0 प्र0 को शासनादेश के क्रम में विधायक कोटे से भूखण्ड आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में।

बोर्ड द्वारा उपरोक्त प्रस्ताव पर यह निर्देश दिये गये कि प्राधिकरण शासनादेशानुसार कार्यवाही करें।

# अनुपूरक प्रस्ताव।

## अनुपूरक मद संख्या–1

प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं में आवासीय बल्क सम्पत्तियों व्यवसायिक बल्क सम्पत्तियों, ग्रुप हाउसिंह व वाणिज्यिक सम्पत्तियों के भविष्य में निस्तारण हेतु शर्तो में संशोधन का प्रस्ताव।

बोर्ड द्वारा प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

## अनुपूरक मद संख्या–2

एरा इन्फ्रास्ट्रक्चर (इण्डिया) लि0 द्वारा प्रस्तावित गार्डनिया एस्टेट के तलपट मानचित्र की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

बोर्ड द्वारा मद सं0 10 के अनुसार कार्यवाही के निर्देश दिए गए।

## अनुपूरक मद संख्या–3

मैसर्स दीवान दोलतराम एजुकेशनल फाउन्डेशन द्वारा प्रस्तुत शैक्षिक ले–आउट की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

बोर्ड द्वारा मद सं0 10 के अनुसार कार्यवाही के निर्देश दिए गए।

## अनुपूरक मद संख्या–4

ग्राम नंगला ताशी कासम पुर व ग्राम दायम पुर के खसरा संख्यायों पर आवासीय तलपट मानचित्र की स्वीकृति सम्बन्ध में।

बोर्ड द्वारा मद सं0 10 के अनुसार कार्यवाही के निर्देश दिए गए।

अध्यक्ष महोदय एवं अन्य माननीय सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापन के उपरान्त बैठक का समापन किया गया।

(शैलेन्द्र चौधरी)
सचिव,
मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ।

(शशि शेखर सिंह)
उपाध्यक्ष,
मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ।

7/8/2007

( बी0एम0मीना)
अध्यक्ष,
मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ।